## ्राबस्थान संस्कार जगरीय विकास विभाग

क्रभोक : चं. 5 (3) न.वि.वि./3/99

2.

કાર છે. મુખ્ય નથાય છે. **આદેશ** હૈ

 $\cap$ 

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पें. 5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 द्वारा कृषि भूमि के नियमन सम्बन्धी कार्य में दिन प्रतिदिन आने वाली वाधाओं के निराकरण हेतु शासन सचिव नगरीय विकास की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड क.मेटो की पंचम बैठक दिनांक 11.2.2000 में लिये गये निणयों की अनुपालना में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :-

गुंक : 09.3.2000

- Hall Stranger To

राजस्थान भू-स्वामियों को सम्पदा अर्जन अधिनियम 1963 से प्रभावित भूमियों के नियमन किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि चूंकि राज्य सरकार के शहरी क्षेत्रों में आवासीय/वाणिज्यिक रूपान्तरण के सम्बन्ध में राजेस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.2.94 व 23.7.97 के अनुसार पूर्व में कई सहकारी समितियों के भूखण्डों का रूपान्तरण राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम 1963 से प्रभावित भूमियों को राजकीय भूमि की श्रेणी में मानकर सम्परिवर्तन शुल्क की 10 गुना राशि भूमि की कोमत के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड के आवंटन करने की कार्यवाहों की गई थां। अतः अब भी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.7.99 एवं आदश क्रमांक : पं. 5 ( 3 ) न.वि.ति./3/99/5 दिनांक 27.9.99 के बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत ऐसी भूमि को राजकीय मानते हुए राजकीय भूमि की उर आरक्षित दर के 25 प्रतिशत अथवा 300 रुपये प्रतिवर्ष, जो भी अधिक हो, से नियमन राशि वसूल जिया जाकर भूखण्डों के नियमन/ आवंटन की कार्यवाहों की जब परन्तु ऐसा करते सनय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि समिति के पक्ष में भूम का विक्रय इकटर हो और कोई कार्ट स्टे नहीं हो।

राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 से प्रभावित भूमियों के नियमन के सम्बन में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय किया गया कि चूंकि पूर्य में राज्य सरेकार के आदेश क्रमांक प. 2 (8) राजस्व/भूरू/90 दिनांक 18.2.94 एवं 23.4.97 के अन्तर्गत ऐसी भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए 10 गुना राशि भूमि की कीमत के रूप में ली जाकर आवंटन करने का प्रावधान किया गया था. परन्तु नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक पं. 5 (3) न वि.चि./3/99 दिनांक 10.7.99 के 13रा राजस्थान कृषि जोत अधिकत्तम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 से प्रभावित भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के प्रावधान लागू नहीं किये गये हैं 1 अतः निर्णय लिया गया कि चूंकि पूर्व में राजस्व विभाग के आदेश दिनाक 18.12.94 व 23.4.97 के अन्तर्गत भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए 10 गुना राशि भूमि की जोमत के रूप में ली जाऊर आवटन/निरामन करने का प्रावधान किया गया था। अतः नगरीय विकास विभाग के वर्तमान आदेश इम्यांक : य. 5 (3) न वि.चि./3/99 दिनांक 27.9.99 के बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत राजकीय भूमि

141 301-1

को दर आरक्षित दुर्रेक 25 प्रतिशत अथवा 300 रुपये प्रतिवर्ग गज जो भी अधिक हो, से नियमन राशि वसूल को जाकर ऐसे भूखण्डों के नियमन/आवंटन की कार्यवाही की जाए। ऐसा करते समय यह देख लिया जाए कि समिति के पक्ष में भूमि का विक्रय इकरार हो और कोई कोर्ट रटे न हो। ()

0

0

0

0

0

0

 $\bigcirc$ 

0

0

 $\bigcirc$ 

Ô

 $(\mathbf{0}$ 

 $\odot$ 

(]

0

0

 $\bigcirc$ 

0

0

0

 $\cap$ 

0

 $\mathbf{O}$ 

0

 $\bigcirc$ 

- 3. नगरीय भूमि (अधिकतन सीना एवं विनिधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावित भूभि के नियमन क संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 में वर्णित नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 राजस्थान में विलोपित हो जाने के कारण तरसम्बन्धी प्रतियन्ध को समाप्त करते हुए नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.7.99 को तद्नुसार संशोधित समझा जावं।
- 4. बेरी आयोग से प्रभावित योजनाओं के सम्यन्ध में विचार विमर्श कर निर्णय लिना गया कि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय से या तो यह निर्णय होगा कि भूमि को खातेदारी की मनी जावे अथवा भूमि को सरकारी माना जावे अत: वेरी आयोग से प्रभावित योजनाओं जिनमें कि पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10 बी एवं अन्य योजनाऐं हैं, उन सभी योजनाओं में, भूखण्डधारी से एक अण्डर टेकिंग इस आशय की ली जाकर कि यदि राज्य सरकार/न्यायालय इसे राजकीय भूमि घोषित करती है तो उसके अनुसार जो कोई अतिरिक्त नियमन राशि देय होगी, चुका दी जाएगी चर्तनल में इस खातेदारी भूमि मानकर तदानुसार नियमन राश ली जाकर भू-नियमन को कार्यवाही की जाई।
- राजस्थान शहरी क्षेत्र (भूखण्डों के उप विभाजन, पुनर्गटन एवं विकास) नियम, 1974 के नियन 13
  एवं 14 में शिशिलता प्रदान की जाती है।\*

6. भू-नियमन शिविरों में रखी गया योजनाओं क नियमन की दरें राज्य सरकार से अनुमोदित करायी गयी थी। परन्तु कुछ योजनाओं में हडताल की अवधि में संशोधन करके योजनाओं के कैन्म राब्ध सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याणा में लगाकर कार्यवाही कर ली गयी अत: जिन योजनाओं के कैन्म राब्ध सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याणा में लगाकर कार्यवाही कर ली गयी अत: जिन योजनाओं को में नियमन की दर संशोधित की गयी उसका अनुमोदन किया जाता है। प्राधिकरण इन योजनाओं को स्ट्री में नियमन की दर संशोधित की गयी उसका अनुमोदन किया जाता है। प्राधिकरण इन योजनाओं को सूची दरें में किए गए संशोधन के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार का भिजवायें। इसी प्रकार हड़ताल के कारण 90 (बी) की कार्यवाही के बाद ज.वि.प्रा. के पक्ष में नामान्तरण हुए विना ही नियमन की जो लो जो कार्यवाही की यह जाता है। उसका अनुमोदन कि लाए राज्य सरकार का भिजवायें। इसी प्रकार हड़ताल के कारण 90 (बी) की कार्यवाही के बाद ज.वि.प्रा. के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करा लिए जाएँ।

•/ (1) विकास शुल्क\*\* :-

(अ) सहकारी समितियों को ऐसी योजनाएँ जिसमें भूखण्डधारियों ने पूर्व में तत्समय प्रचलित आदेशों के तहत देय सम्पूर्ण रूपान्तरण शुल्क मय पेनेल्टी के जमा करवा दिया हो परन्तु मरीधीय विकास दिया समस्यत गर्वर भार्य स्वर्ण्य के बप बिभाजा. उनगंडन पूर्व बिकारी, जिसमें 1974 के प्रमुद्ध में 14 की प्रति प्राय के 40 से 66 सर सेलन है। "है प्रियंत्र केम्नोक 5(8) न.वि.वि./3/99 दिवांक 26.5:2000 के बिन्दु संख्या 11 का भी अवलोकनीय किया जए।

(339)

## शुल्क रव विकास शुल्क जमा नहीं कराया है, तो उनसे विकास शुल्क के रूप में 40.00 रुपये प्रति वर्ग गंच को दर से राशि वजूल की जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

- (च) तिन मामलों में तत्समय देव दिकास शुल्क 25.00 रुपये प्रति वर्ग गज तथा तो समय देव परीधांय शुल्क जमा करवा दिया हो या तत्समय देव 40.00 रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क जमा करवा दिया गया हो, उनसे अब विकास शुल्क के रूप में कोई राशि नहीं ली जावेगी।
- (स) यदि तत्समय देव विकास शुल्क 25.00 रुपये से आंशिक विकास शुल्क ही जमा कराया गया हो या केवल घरीधीय विकास शुल्क ही जमा कराया हो, या तत्समय देय 40.00 रुपये प्रति वर्गगज विकास शुल्क में से आंशिक विकास शुल्क ही जमा कराया है तो विकास शुल्क के पेटे 40:00 रुपये प्रति वर्गगज के अन्तर की राशि जमा करवा ली जावेगी।

(2) रूपानाण शुल्क :-

(अ) यदि भूमि इकरारनामा से खरीदी हो या पंजीकृत विक्रय पत्र से यदि भूखण्डधारी द्वारा 26.12.81
 से 31.10.84 तक तत्समय देय सम्परिवर्तन शुल्क रियायती/सामान्य दर पर राशि जमा करवा
 दी हो तो उसे सम्पूर्ण सम्परिवर्तन शुल्क को अदायगी माना जावेगा।

(व) यदि 31,10.84 के धाद तत्समय देव सामान्य दर से सम्पूर्ण रूपान्तरण राशि मय शास्ति जमा करवा दी हो दो उसे सम्पूर्ण रूपान्सरण शुल्क की अदायगी माना जावेगा।

(स) राजस्व विभाग को क्रमांक : एफ. 2 (8)./राजस्व/(भू) 90 दिनांक 3.3.92 के संशोधन में इकरारनामों के मामलों में रूपान्तरण शुल्क की सामान्य सम्परिवर्तन शुल्क से दुगुनी की गयी थी। यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ 2.3.92 तक तत्समय देय सम्पूर्ण राश जमा करवा दी गयी हो क्योंकि ऐसे मामलों में 26.12.81 से 2.3.92 के मध्य तत्समय देय सम्पूर्ण राश सम्पूर्ण रूपान्तरण राश जमा करवा दी गयी थी।

14:23

340

- <sup>२००</sup> - २०० आज्ञा से

सहों/-

( श्री राम मीणा ) दुपशासन सचिव